न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 496/21 (वाद)

1. श्री दला पिता भेरा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर

...........वादी

बनाम्

1. श्री पांचिया पिता भेरा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
2. श्री बाबरू पिता खेमा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
3. श्रीमती तुलसी पुत्री खेमा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
4. श्रीमती केसरी बेवा खेमा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

2 श्री शरिफ मो. अधिवकता प्रतिवादीगण।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला उदयपुर राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 04.07.2022

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पीपलवास पटवार हल्का तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज. में खाता नम्बर 39 पर आराजी नम्बर 157, 158, 167, 291, 300, 313, 315, 320, 360, 361, 362 किता 11 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दला, खेमा, पांचिया पिता भेरा रावत के नाम अंकित है। ताईद मं नकल जमाबन्दी पेश है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार श्री खेमा पिता भेरा का निधन हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है।

2. यह कि मौजा मालेखेजडी तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 में खाता नम्बर 31 पर आराजी नम्र 194 रकबा 6 बिस्वा उमरवाला कुंआ, आ.नं. 204 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा रूडी वाला किता 2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता नम्बर 33 पर आराजी नम्बर 199/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा पाटी, आराजी नम्बर 199/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पाटी, आराजी नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पाटी किता 3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर दला, खेमा, पाच्या पिता भेरा मीणा साकिन पीपलवास के नाम पर अंकित है। ताईद में नकल जमाबन्दी संवत 2012 पेश है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही खानदान के होकर सजरा निम्न प्रकार है।

भेरा
- दला
- खेमा फोत
  - बाबरू
  - तुलसी
  - केसरी
- पांचिया उर्फ पाच्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

4. कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 के मोरूरा भेरा मीणा थे जिनकी भूमि मोजा मालखेजडी माफी में थी एवं मोजा पीपलवास में भी थी ओर भेरा मीणा जाति के थे ओर उनकी पहचान मीणा जाति से ही थी ओर उनके परिवार में तीन पुत्र दला, खेमा, पांचिया उर्फ पाच्या हुए जिनकी जाति भी मीणा ही है ओर गांव, समाज, रिश्तेदार, परिवार में इनको मीणा जाति से ही जाना पहचाना जाता है ओर सभी की जाति मीणा है लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान गांव मालखेजडी माफी की भूमि तो भेरा मीणा के नाम अंकित कर दी जो भेरा के निधन के बाद वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 के नाम मीणा जाति से ही अंकित है लेकिन कलम नम्बर एक में वर्णित भूमि में भेरा की जाति मीणा होते हुए राजस्व कम्रचारियों से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भेरा की जाति मीणा के बजाय रावत अंकित कर दी ओर भेरा जी के निधन के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की जाति मीणा के बजाय रावत अंकित चली आ रही है जो गलत है। वादी एवं प्रहितवादी संख्या 1 से 4 मीणा जाति के है ओर मीणा जाति से ही जान पहचान है एवं पहचान के दस्तावेजों में भी मीणा जाति अंकित है लेकिन मोजा मालखेजडी में मीणा एवं मोजा पीपलवास में रावत जाति अंकित होने से वादी व उसके परिवार के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ प्रापत करने से वंचित हो रहे है वही वादी व उसके परिवार के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भी दिक्कत आ रही है जबकि वादी की जाति मीणा है ओर मीणा जाति के नाम से ही जाने पहचाने जाते है लेकिन कलम नम्बर एक में वर्णित भूमि में वादी की जाति मीणा के बजाय रावत गलत अंकित होने से वादी को माननीय न्यायालय में वाद वास्ते प्रस्तुत किया गया।

5. कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 के पास जाकर दोनों गावों की जमाबन्दीयों को प्रस्तुत कर जाति रावत के बजाय मीणा अंकित कराने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 5 ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा जिससे माननीय न्यायालय में उक्त वाद पेश किया गया।

6.कि बिनाय वाद विरूध प्रतिवादीगण दिनांक 7.10.2020 करे पीपलवास में पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 5 को वादी ने जाति रावत के बजाय मीणा अंकित कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 5 ने वादी को कानूनी कार्यवाही कराने के लिए कहा तब से निरन्तर जारी है।

7. कि वादग्रस्त भूमि मोजा पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 में स्थित है तथा पक्षकार भी ग्राम पीपलवास के रहने वाले है जिससे इस ... श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

8. अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम 1 में वर्णित मोजा पीपलवास पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज. में खाता नम्बर 39 पर आराजी नम्बर 157, 158, 167, 291, 300, 313, 315, 320, 360, 361, 362 किता 11 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

वादी की जाति रावत के बजाय मीणा इन्द्राज दुरस्ती से घोषित करायी जावे एवं राजस्व रेकर्ड में अंकन कराया जावे।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति. वादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रति. संख्या 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रति. वादी संख्या 4 के सम्मन तामील नहीं होने के कारण अखबार साया के आदेश दिए गए। वादी अधि. द्वारा अखबार दैनिक नवज्योति में अखबार साया करा प्रति पेश की। प्रति. संख्या 2, 3 द्वारा उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। प्रति. संख्या 2, 3 द्वारा वादी का वाद स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही जताई। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ से बिन्दुवार रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि–

i. प्रार्थी की ग्राम पीपलवास की जमाबन्दी खाता संख्या 25 में जाति रावत दर्ज है।

ii. प्रार्थी की प.म. पीथलपुरा के ग्राम मालखेजडी की जमाबन्दी सम्वत 2046–49 के खाता संख्या 61 में जाति मीणा दर्ज है जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है।

iii. प्रार्थी की सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2012 ग्राम पीपलवास में रावत जाति दर्ज है

iv. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान स्टेट ओपन विद्यालय की अंकतालिका में जाति मीणा दर्ज है।

v. मौतबिरान द्वारा मौके पर बतलाया गया कि इनके पूर्वजों की जाति मीणा है।

[illegible] प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस पर सुनी। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों को दोहराया और वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा उपस्थित होकर वाद को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही जताई। प्रार्थी द्वारा अपने वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत पीथलपुरा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्रम पंचायत पीथलपुरा द्वारा प्रमाणित किया गया कि दल्ला पिता भेरा की जाति राजस्व रेकर्ड में मीणा दर्ज है। हमने तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अध्यन किया। रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी की ग्राम मालखेजडी की जमाबन्दी सम्वत 2046–49 के खाता संख्या 61 में जाति मीणा दर्ज है तथा ग्राम पीपलवास की जमाबन्दी खाता संख्या 25 में जाति रावत दर्ज है तथा सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2012 ग्राम पीपलवास में रावत जाति दर्ज है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तहसीलदा[illegible] से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि वादी एवं प्रति[illegible] जिनकी कृषि भूमि ग्राम मालखेजड़ी एवं ग्राम पीपल[illegible] के मोरूस भेरा मीणा के नाम दर्ज थी। लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान गांव [illegible]खेजडी माफी की भूमि तो भेरा मीणा के नाम अंकित कर दी जो भेरा के निधन के बाद वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

नाम मीणा जाति से ही अंकित है लेकिन कलम नम्बर एक में वर्णित भूमि में भेरा की ... मीणा होते हुए जाति मीणा के बजाय रावत अंकित कर दी जो गलत है। जिसे सुधार... जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा पीपलवास पटवार हल्का आकोला तह. कानोड़ की खाता संख्या 39 पर आराजी नम्बर 157, 158, 167, 291, 313, 315, 320, 360, 361, 362 किता 11 रकबा 15 बिघा 9 बिस्वा में वादी की जाति संशोधित कर रावत के बजाए मीणा की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार भीण्डर को भू—प्रबंधन के बाद के नये नंबरों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

4/7/22

(रमेश सीरवी पनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दला पिता भेरा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर

...........वादी

बनाम्

1. श्री पांचिया पिता भेरा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
2. श्री बाबरू पिता खेमा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
3. श्रीमती तुलसी पुत्री खेमा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
4. श्रीमती केसरी बेवा खेमा मीणा निवासी पीपलवास तहसील कानोड जिला उदयपुर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 496/21 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:—

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा पीपलवास पटवार हल्का आकोला तह. कानोड़ की खाता संख्या 39 पर आराजी नम्बर 157, 158, 167, 291, 313, 315, 320, 360, 361, 362 किता 11 रकबा 15 बिघा 9 बिस्वा में प्रार्थी की जाति संशोधित कर रावत के बजाए मीणा की जाती है। तहसीलदार कानोड नये राजस्व रेकर्ड में भू–प्रबंधन के बाद के नये नम्बरों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.07.2022 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45
Reason: SelfAttested

4/7/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner